राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	पूरण बनाम गिरधारी लाल 1948/2025, 1949/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 1949/2025 एवं 1948/2025 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी। अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 19/03/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
19/03/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06/06/2024 पारित करते हुये तहसीलदार चौमू को विवादित भूमि के खाता संख्या नया 367 पुराना 332 के खसरा नम्बर 1015 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1016/1323 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 987/1313 रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.6000 हैक्टेयर वाके ग्राम लोहरवाडा पटवार हल्का लोहरवाडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपूरिया तहसील चौमू जिला जयपुर के जमाबन्दीमें दर्ज हिस्से अनुसार सभी पक्षकारो के रहवास/मकानात एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुये कब्जे काश्त के आधार पर बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार तकासमा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 03/07/2024 व 08/07/2024 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06/06/2024 के विरुद्ध अपील संख्या 1948/2025 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 03/07/2024 व 08/07/2024 के विरुद्ध अपील संख्या 1949/2025 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी। चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है। अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	पूरण बनाम गिरधारी लाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1948/2025, 1949/2025	

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्रीयो के अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये अपीलाधीन प्राथमिक एवं तत्पश्चात अन्तिम निर्णय व डिक्रीये पारित की गयी है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दु के आधार पर लम्बित अथवा निरस्त किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | इसके अतिरिक्त दौराने बहस यह भी स्पष्ट हुआ है कि रेस्पो. संख्या 1 द्वारा अपनी विभाजित भूमि को विधिवत प्रक्रियां से कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तित करवाया जा चुका है, ऐसेमें कृषि से अकृषि में भूमि को परिवर्तित करवाये जाने के आदेश को निरस्त करवाते हुये पुन: भूमि को अकृषि से कृषि में परिवर्तित करवाने तक अपीलार्थी अकृषि भूमि के सम्बन्ध में अनुतोष प्राप्त करने के कानूनन अपीलार्थी को अधिकार नही रह जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06/06/2024 व अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 03/07/2024 व 08/07/2024 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये उसे यथावत रखा जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले क्रमश: 1949/2025 व 1948/2025 ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 19/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर